[2019] 4 उम. नि. प. 123

रामबीर

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली राज्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 839]

6 मई, 2019

न्यायमूर्ति आर. बानुमती और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300, अपवाद-4 और धारा 304 भाग 2 – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर मृत्यु कारित किया जाना – अभियुक्त और मृतका के बीच अचानक हुए लड़ाई-झगड़े में मृत्यु कारित होना – अभियुक्त-अपीलार्थी को आजीवन कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – जहां अभिलेख पर साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने शराब के नशे में अपनी पत्नी-मृतका द्वारा उसकी जेब से कुछ रुपए निकाल लेने के कारण उसने क्रोध और अचानक हुए लड़ाई-झगड़े में 'सरिया' से मृतका की गर्दन दबाकर मृत्यु कारित कर दी, वहां मृत्यु कारित करने के आशय और पूर्व-चिंतन के अभाव के कारण अभियुक्त को धारा 300 के अपवाद-4 का फायदा देते हुए धारा 304, भाग 2 के अधीन दोषसिद्ध करना उचित होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी का अपनी पत्नी की गला घोंटकर मृत्यु कारित करने के लिए विचारण किया गया था । शराब के नशे में अभियुक्त की जेब से मृतका द्वारा कुछ रुपए निकाल लेने के कारण पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था और अभियुक्त ने एक 'सरिया' से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी । विचारण न्यायाधीश द्वारा साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया गया । अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय

की पुष्टि की गई । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना अचानक हुए लड़ाई-झगड़े में घटी थी और कोई पूर्व-चिंतन नहीं था । यहां तक कि मुख्य साक्षी अभि. सा. 7, अभियुक्त और मृतका के पुत्र, ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपीलार्थी को तब अपनी माता-मृतका का 'सरिया' से गला घोंटते हुए देखा था, जब उसने अपीलार्थी की जेब से कुछ धन निकाल लिया था । ऐसा नहीं है, मानो अपीलार्थी की पत्नी की हत्या करने के लिए 'सरिया' पूर्व योजनाबद्ध तरीके से लाया गया था । लोहे की छड़ (सरिया) घटना के समय तत्क्षण उठाई गई थी और बलपूर्वक गर्दन दबाने के लिए प्रयोग की गई थी । मामले की इस दृष्टि से, अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य आवेश की तीव्रता में किए गए कृत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 का फायदा इस आधार पर नहीं दिया है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की गर्दन दबाई थी जिससे अत्यधिक क्रूरता का कृत्य प्रतिबिम्बित होता है । घटना की प्रकृति और रीति को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का कृत्य अत्यधिक क्रूरतापूर्ण था । जब तक यह कृत्य बर्बरतापूर्ण, यंत्रणापूर्ण और पाश्विक न हो, अपीलार्थी की पत्नी के गला घोंटने को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के फायदे से इनकार करने के लिए अत्यधिक क्रूरतापूर्ण नहीं कहा जा सकता है । अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद–4 के अंतर्गत आता है । चूंकि घटना अचानक हुए झगड़े में घटी थी और कोई पूर्व-चिंतन नहीं था, अभियुक्त का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अधीन आता है । इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभिलिखित दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है और तद्नुसार अपास्त की जाती है तथा अपीलार्थी-अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2

के अधीन उपांतरित की जाती है और न्यायालय अभियुक्त पर दस वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश अधिरोपित करता है । (पैरा 13 और 14)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[1989] (1989) 2 एस. सी. सी. 217 :
सुरिन्द्र कुमार बनाम **संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़** । 14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 839.

2012 की दांडिक अपील सं. 1316 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तारीख 11 अक्तूबर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री शिखिल सूरी और शिवकुमार सूरी

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री पिंकी आनंद, अपर महासालिसिटर, सर्वश्री अशोक पाणिग्राही, पी. एस. सुधीर, कीर्ति दुआ और बी. वी. बलराम दास

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील 2012 की दांडिक अपील सं. 1316 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तारीख 11 अक्तूबर, 2017 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली द्वारा अपीलार्थी पर अधिरोपित उस दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि करते हुए दांडिक अपील खारिज कर दी, जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था ।

3. अभिलेख के पक्षकथन के अनुसार, तारीख 31 अगस्त, 2010

और 1 सितम्बर, 2010 की मध्यवर्ती रात्रि में अपीलार्थी ने परिसर सं. सी-834, गली सं. 30/3, जाफराबाद दिल्ली की छत पर अपनी पत्नी-सुआ का गला घोंटा और उसकी मृत्यु कारित कर दी । उक्त घटना के संबंध में, अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध तारीख 1 सितम्बर, 2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के अधीन 2010 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 205 में एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त का विचारण किया गया । अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए 18 साक्षियों की परीक्षा की । विद्वान् विचारण न्यायालय अर्थात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् तारीख 19 जुलाई, 2012 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी है । इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने तारीख 23 जुलाई, 2012 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश दिया ।

4. विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश को उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई :-

> "(i) विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की उपेक्षा करके गलती की है कि बाल साक्षी (अभि. सा. 7) - अनुराग की घटनास्थल पर मौजूदगी अत्यधिक संदेहास्पद थी और उसके परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह साक्षी (अभि. सा. 7) एक सिखाया-पढ़ाया गया साक्षी था ।
>
> (ii) अभि. सा. 1 (कांस्टेबल नीरज कुमार), जो अपराध अन्वेषण दल में फोटोग्राफर के रूप में तैनात था, ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया कि 'अन्वेषक अधिकारी के समक्ष कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी स्वयं यह दावा करते हुए आगे नहीं आया

कि उसने अपनी मौजूदगी में कोई घटना देखी थी, जबकि अभि. सा. 7 को घटना के साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था ।

(iii) साक्षियों में से किसी ने भी अभि. सा. 7 की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है, जबकि अभि. सा. 7 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि वह छत पर सो रहा था ।

(iv) विचारण न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहा कि मृतका का शव इसकी मरणोत्तर परीक्षा करने से पूर्व 72 घंटे तक परिरक्षित रखा गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस के पास अभियुक्त के बारे में कोई सुराग नहीं था । इन परिस्थितियों में अनुराग को एक सिखाए-पढ़ाए गए साक्षी के रूप में सामने लाया गया था । इस बारे में न तो कोई जांच या अन्वेषण किया गया था कि तब तक बालक कहां था और उसे कहां से और किसके द्वारा पेश किया गया था, जिससे स्पष्ट रूप से यह सुझाव मिलता है कि इस साक्षी को जानबूझकर सामने लाया गया था ।

(v) विचारण न्यायालय ने जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान अपीलार्थी की घटनास्थल पर मौजूदगी से संबंधित तथ्य की उपधारणा करके गलती की है, जबकि साक्ष्य में यह आया है कि उसे एक भेदिए के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था, जिससे स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अपीलार्थी को मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया था ।

(vi) आक्रामक आयुध 'सरिया', जिसे अभिकथित रूप से अपीलार्थी के प्रकटन के अनुसरण में उसके द्वारा बरामद कराया गया था, एक लोहे की छड़ थी जिस पर घुमावदार चिह्न थे, किंतु मरणोत्तर परीक्षा से यह सुझाव नहीं मिलता है कि क्या मृतका की गर्दन पर पाए गए गला घोंटने के चिह्न 'सरिया' के घुमावदार चिह्न थे ।"

5. उच्च न्यायालय अपीलाधीन निर्णय पर विचार करने और अभिलेख पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध

मामले को साबित किया है । विचारण न्यायालय द्वारा अभि. सा. 7 के अभिसाक्ष्य का अवलंब लिया गया है, जो कि अपीलार्थी और मृतका का पुत्र है और जो हत्या की घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 7 के मौखिक साक्ष्य, जिसके कथन की संपुष्टि अभि. सा. 9 – फयाज द्वारा भी की गई थी, जिसने सवेरे 6.30 बजे अंतिम बार अपीलार्थी को घटनास्थल से जाते हुए देखा था तथा अभि. सा. 17 – कृष्ण और अभि. सा. 18 – शाहिद जिन्होंने अपीलार्थी की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि की थी, के परिसाक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि उनके परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक हैं और पूर्वोक्त सभी साक्षी प्रतिपरीक्षा में अडिग रहे थे और इस प्रकार विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि अपीलार्थी ने 'सरिया' से अपनी पत्नी का गला घोंटा था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी ।

6. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के काउंसेल, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त किया गया था, के इस अभिवाक् पर विचार करते हुए कि घटना गुस्से में घटी थी और शराब के नशे में उसने अपना आपा खो दिया था और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया था और 'सरिया' की सहायता से उसका गला घोंट दिया, इसलिए अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आता है, उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अपवाद-4 के दो संघटक गायब हैं । उच्च न्यायालय ने इस अभिवाक् को स्वीकार नहीं किया और विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि और अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश की पुष्टि की ।

7. इस न्यायालय ने तारीख 13 नवम्बर, 2018 के आदेश द्वारा दंड की प्रकृति और दंडादेश की मात्रा तक सीमित रहते हुए सूचना जारी की ।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री शिखिल सूरी और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होते हुए विद्वान् अपर महासालिसिटर सुश्री पिंकी आनंद को सुना ।

9. इस अपील में, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने मुख्य रूप से यह दलील दी गई है कि मामले के तथ्यों और अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करने का कोई मामला नहीं बनता है । यह दलील दी गई कि अपीलार्थी का अपनी पत्नी की हत्या करने का कोई आशय नहीं था और किसी प्रकार का कोई पूर्व-चिंतन नहीं था । विद्वान् काउंसेल के अनुसार यह पति-पत्नी के बीच झगड़े का सामान्य मामला था, जो पत्नी द्वारा अपीलार्थी की जेब से जबरदस्ती धन निकालने की कोशिश में घिनौना हो गया । अपीलार्थी की दलील यह है कि अपीलार्थी ने, जो शराब के नशे में था, अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी पर प्रहार करने के लिए 'सरिया' उठा लिया । यह दलील दी गई कि उसका न तो उसकी मृत्यु कारित करने का आशय था और न ही अचानक हुए लड़ाई-झगड़े में उसने यह सोचा था कि 'सरिया' से उसकी गर्दन दबाने के उसके कृत्य से उसकी मृत्यु हो जाएगी । विद्वान् काउंसेल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों में इस अपवाद के चारों संघटक लागू होते हैं और यह दलील दी कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष, कि अपीलार्थी के मामले को अपवाद-4 के अधीन लाने के लिए संघटकों में से दो का समाधान नहीं होता है, अभिलेख पर के साक्ष्य के प्रतिकूल है ।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् अपर महासालिसिटर ने यह दलील दी कि यह एक स्पष्ट हत्या का मामला है जो अपीलार्थी के विरुद्ध चार तात्विक साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 7, अभि. सा. 9, अभि. सा. 17 और अभि. सा. 18 द्वारा साबित किया गया है । यह दलील दी गई कि अपीलार्थी ने 'सरिया' से अपनी पत्नी का गला घोंटा था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी । यह दलील दी गई कि 'सरिया' उठा लेना और अपनी पत्नी की बलपूर्वक गर्दन दबा देना, तनिक संदेह के बिना यह कहा जा सकता है कि यह गुस्से में किया गया कृत्य नहीं था । इसके अतिरिक्त, यह दलील दी गई कि 'सरिया' से गला घोंटना अपीलार्थी का अत्यंत क्रूर कृत्य है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अभिवाक् को नकारा गया है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है ।

11. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमने आक्षेपित निर्णय और अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य सामग्री का परिशीलन किया ।

12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने दंड की प्रकृति और दंडादेश की मात्रा तक सीमित सूचना जारी की थी । जबकि अपीलार्थी का यह पक्षकथन है कि यहां तक कि अभिलेख पर साक्ष्य को स्वीकार कर लेने पर भी अभियोजन का पक्षकथन भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अधीन आता है, इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करके और उसे आजीवन कारावास का दंडादेश देकर गलती की है । यहां तक कि अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार घटना की तारीख 31 अगस्त, 2010 और 1 सितम्बर, 2010 की मध्यवर्ती रात्रि में परिसर सं. सी-834, गली सं. 30/3, जाफराबाद, दिल्ली की छत पर घटी थी । मुख्य साक्षी अभि. सा. 7 है जो अपीलार्थी और मृतका का पुत्र है, जिसने यह कथन किया कि उसकी माता द्वारा अपीलार्थी की जेब से कुछ धन निकाल लेने पर उसने अपीलार्थी को 'सरिया' से अपनी माता-मृतका का गला घोंटते हुए देखा था । अभि. सा. 15-उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र प्रताप घटनास्थल पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था और उसने छत पर मृतका के शव के साथ-साथ, अन्य चीजों के साथ, एक 'सरिया', शराब की एक खाली बोतल और एक प्लास्टिक का गिलास मौजूद होने के बारे में साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 9-फयाज़, जो उक्त परिसर में वर्कशाप में कार्य कर रहा था, ने तारीख 1 सितम्बर, 2010 को सवेरे अपीलार्थी को परिसर से जाते हुए देखे जाने के बारे में साक्ष्य दिया है ।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के पढ़ने मात्र से यह दर्शित होता है कि निम्नलिखित चार संघटकों का होना अपेक्षित है :-

(i) अचानक लड़ाई हुई हो ;

(ii) पूर्व-चिंतन न हो ;

(iii) कृत्य आवेश की तीव्रता में किया गया हो ; और

(iv) अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति में कार्य नहीं किया था ।

उपरोक्त कसौटियों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अपीलार्थी के मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अधीन लाने के लिए संघटकों में से दो संघटक अनुपस्थित हैं । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा 'सरिया' उठाने और बलपूर्वक अपनी पत्नी की गर्दन दबाने के कृत्य को तनिक संदेह के बिना आवेश की तीव्रता में किया गया कृत्य नहीं कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने जिस रीति में अपनी पत्नी की गर्दन दबाई थी उससे भी अत्यधिक क्रूरता का कृत्य प्रतिबिम्बित होता है । अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना अचानक हुए लड़ाई-झगड़े में घटी थी और कोई पूर्व-चिंतन नहीं था । यहां तक कि मुख्य साक्षी अभि. सा. 7, अभियुक्त और मृतका के पुत्र, ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपीलार्थी को तब अपनी माता-मृतका का 'सरिया' से गला घोंटते हुए देखा था, जब उसने अपीलार्थी की जेब से कुछ धन निकाल लिया था । ऐसा नहीं है, मानो अपीलार्थी की पत्नी की हत्या करने के लिए 'सरिया' पूर्व योजनाबद्ध तरीके से लाया गया था । लोहे की छड़ (सरिया) घटना के समय तत्क्षण उठाई गई थी और बलपूर्वक गर्दन दबाने के लिए प्रयोग की गई थी । मामले की इस दृष्टि से, अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य आवेश की तीव्रता में किए गए कृत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 का फायदा इस आधार पर नहीं दिया है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की गर्दन दबाई थी जिससे अत्यधिक क्रूरता का कृत्य प्रतिबिम्बित होता है । घटना की प्रकृति और रीति को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का कृत्य अत्यधिक क्रूरतापूर्ण था । जब तक यह कृत्य बर्बरतापूर्ण, यंत्रणापूर्ण और पाश्विक न हो, अपीलार्थी की पत्नी के गला घोंटने को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के फायदे से इनकार करने के लिए अत्यधिक क्रूरतापूर्ण नहीं कहा जा सकता है ।

14. अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि

अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आता है । इसके अतिरिक्त, **सुरिन्द्र कुमार** बनाम **संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़**[1] वाले मामले में के निर्णय से अपीलार्थी के पक्षकथन का समर्थन होता है । पूर्वोक्त मामले में, आवेश की तीव्रता में चाकू से प्रहार किए गए थे, जिनमें से एक प्रहार से मृतक की मृत्यु हो गई थी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त अपवाद-4 के फायदे का हकदार है । पूर्वोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अचानक हुई लड़ाई में यदि कोई व्यक्ति तत्क्षण आवेश में कोई ऐसा आयुध उठा लेता है जो उसके आस-पास पड़ा है और क्षतियां कारित करता है जिनमें से एक घातक साबित होती है, अभियुक्त अपवाद-4 के फायदे का हकदार होगा । हमारा यह मत है कि उक्त निर्णय से अपीलार्थी के पक्षकथन का समर्थन होता है और इसके अतिरिक्त अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि सभी चार संघटक जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 का फायदा देने के लिए अपेक्षित हैं, प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू होते हैं । चूंकि घटना अचानक हुए झगड़े में घटी थी और कोई पूर्व-चिंतन नहीं था, अभियुक्त का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अधीन आता है । इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभिलिखित दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है और तद्नुसार अपास्त की जाती है तथा अपीलार्थी-अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के अधीन उपांतरित की जाती है और हम अभियुक्त पर दस वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश अधिरोपित करते हैं ।

15. यह अपील भागत: मंजूर की जाती है और अभिलिखित दोषसिद्धि तथा अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश को ऊपर उपदर्शित अनुसार उपांतरित किया जाता है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.

---

[1] (1989) 2 एस. सी. सी. 217.